कार्यवृत

95वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की दिनांक 13 फरवरी, 2026 को सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक

बैठक में उपस्थिति संलग्न विवरणानुसार रही।

बैठक के प्रारम्भ में सदन को सम्बोधित करते हुए सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- प्रस्तुत बैठक सितम्बर, 2025 तिमाही की समीक्षा हेतु आयोजित की गई है। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिसंबर, 2025 तिमाही के अद्यतन आंकड़े भी बैठक में प्रस्तुत किए गए।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 94वीं बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2025 के कार्य बिंदु सभी सदस्यों को प्रेषित किए गए थे। निर्धारित अवधि में किसी भी सदस्य से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।
- अक्टूबर, 2025 से दिसंबर, 2025 के मध्य आयोजित आपकी पूँजी आपका अधिकार विशेष अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में शिविर आयोजित किए गए जिसे DFS द्वारा सराहा गया। शिविरों में कुल 22,424 खाताधारकों को ₹51.15 करोड़ की राशि का निस्तारण किया गया।
- एसएलबीसी के माध्यम से दो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम—PFRDA द्वारा APY Outreach Seminar एवं CERSAI प्रशिक्षण कार्यक्रम (45 आरसेटी प्रशिक्षकों एवं एफएलसी हेतु) सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दिसम्बर तिमाही में राज्य के अग्रिमों में रु. 4,790 करोड़ और जमा में रु. 2,700 की वृद्धि दर्ज हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य का ऋण–जमा अनुपात 54.67% से बढ़कर दिसम्बर, 2025 त्रैमास में 55.97% हो गया।
- दिसम्बर तिमाही तक MSME योजना में निर्धारित लक्ष्य रु. 31442 करोड़ के सापेक्ष रु. 29277.57 करोड़ (93.12%) ऋण वितरित कर 61,607 इकाईयों को लाभान्वित किया गया।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान की समीक्षा हेतु RBI द्वारा मांगी जाने वाली सूचनाएं समस्त बैंकों द्वारा समयबद्ध उपलब्ध कराई जाएं तथा शेष लंबित दावों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित राज्य का ऋण–जमा अनुपात 60% लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्न सीडी रेशियो वाले जनपदों (टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर) में विशेष कार्ययोजना तैयार कर जिला स्तरीय समीक्षा की जाए। ब्लॉक स्तर तक विश्लेषण कर कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)

बैठक में एजेण्डेवार विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत् चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- सभी जनपदों के अग्रणी जिला प्रबंधको द्वारा अपने कार्यालय में समर्पित ऑडियो–वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित कर उसे अधिसूचित केंद्र के रूप में नामित किया गया है। इसकी पुष्टि एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 15.12.2025 को शासन को प्रेषित कर दी गई है।
- अग्रणी जिला प्रबंधक, पिथौरागढ़ द्वारा अवगत कराया गया की वर्तमान में बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 10 ग्रामों में बिजली एवं इंटरनेट की व्यवस्था नही है, ग्राम प्रधानों से सम्पर्क कर एवं ग्राम वासियों से वार्ता करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि संबंधित ग्रामवासियों के बैंक खाते पूर्व से ही विभिन्न बैंकों में संचालित हैं। साथ ही यह भी प्रतीत हुआ कि उक्त ग्राम पंचायतों में इंडिया पोस्ट बैंक एवं जिला सहकारी बैंक की शाखायें खोलना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस विषय आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, अतः इस एजेंडा को निस्तारित किए जाने का अनुरोध किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, A.O.3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell-Advisor Banking-NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 20/03/2026 02:56 pm

- राज्य में सममूल्य बंधक (Equitable Mortgage) की सुविधा को सरल एवं सर्वसुलभ बनाने हेतु सभी उपयुक्त केन्द्रों को अधिसूचित केन्द्र घोषित करने हेतु राजस्व परिषद द्वारा समस्त जिलाधिकारियो कों पत्रांक 1577/02-3 संग्रह अधि0/ रा0पा/2024-25, दिनांक 01 जनवरी, 2026 प्रेषित किया गया है।
- राज्य में कार्यरत समस्त बैंकों से अनक्लेम्ड जमा एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (DEAF) पर सरकार के कुल दावों संबंधी संपूर्ण जानकारी एसएलबीसी द्वारा संकलित कर बैंकिंग सलाहकार (वित्त), उत्तराखंड शासन के माध्यम से दिनांक 07.01.2026 को शासन को प्रेषित कर दी गई है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- सममूल्य बंधक (Equitable Mortgage) के संबंध में सभी जनपदों के अग्रणी जिला प्रबंधको से अनुपालन स्थिति प्राप्त कर उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए तथा रिर्पोट शासन को प्रेषित की जाए।
- राज्य के बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 10 गाँवों के संबंध में जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर DFS को प्रस्ताव प्रेषित कर प्रकरण का समापन किया जाए।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबंधक/बैंकिंग सलाहकार)

2. <u>वार्षिक ऋण योजना 2025–26</u> :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के सितम्बर तिमाही में फार्म सेक्टर अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 18,649.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 7935.00 करोड़ (42%) की उपलब्धि दर्ज की गई, जो कि **दिसम्बर तिमाही तक बढ़कर रु. 11,237.00 करोड़ (60%)** हो गई। इसी प्रकार एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य रु. 31442.00 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर तिमाही तक रु. 22427.00 करोड़ (71%) की प्रगति रही, जो **दिसम्बर तिमाही तक बढ़कर रु. 29,277.00 करोड़ (93%)** हो गई।
- वार्षिक ऋण योजना के अंर्तगत वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 55174.00 करोड़ के सापेक्ष सितम्बर तिमाही तक रु. 31,994.00 करोड़ (58%) की उपलब्धि दर्ज की गई, जो **दिसम्बर तिमाही तक बढ़कर रु. 43,655.00 करोड़ (79%)** हो गई।

अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- एम.एस.एम.ई. सेक्टर अंतर्गत बैंकों के प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार हुआ है जिसके लिए समस्त बैंक प्रशंसा के पात्र है।
- राज्य में कुल 4.4 लाख पंजीकृत इकाइयाँ हैं, जिनमें से केवल लगभग 01 लाख इकाइयाँ संस्थागत ऋण से जुड़ी हुई हैं। शेष 3.4 लाख इकाइयों को बैंकिग प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता है। इस संबंध में अवगत कराया गया कि आंकड़े संबंधित विभाग (DOI) के कार्यक्षेत्र में आते हैं तथा उनसे आवश्यक विवरण साझा करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त संभावित इकाइयों के संबंध में लीड्स SIDBI को भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका परीक्षण/अन्वेषण उनके द्वारा किया जा रहा हैं।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- राज्य स्तर पर समग्र स्थिति संतोषजनक प्रतीत होती है, तथापि संभावनाओं की दृष्टि से अभी भी पर्याप्त गुंजाइश उपलब्ध है। वर्ष–दर–वर्ष (YoY) वृद्धि, विशेषकर दिसंबर तिमाही की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 40% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है तथापि, अभी भी बड़ी संख्या में इकाइयाँ बैंकिंग ऋण से वंचित हैं, जिन्हें चिन्हित कर संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

  यह भी अवगत कराया गया कि लगभग 01 लाख इकाइयों को वित्तपोषित किए जाने के बावजूद केवल लगभग 11,000 इकाइयाँ ही क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के अंतर्गत आच्छादित हैं। इससे संकेत मिलता है कि बैंक अभी भी कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। अतः सुझाव दिया गया कि अधिक से अधिक ऋणों को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से रूट किया जाए, जिससे Ease of Doing Business के साथ–साथ Ease of Getting Funds सुनिश्चित हो सके तथा Entry Barrier कम हो।

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell-Advisor Banking-NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 20/03/2026 02:56 pm

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- उद्योग विभाग से पंजीकृत इकाइयों का अद्यतन एवं सत्यापित विवरण शीघ्र प्राप्त किया जाए तथा शेष इकाइयों को चरणबद्ध रूप से बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने हेतु ठोस कार्ययोजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रगति आख्या प्रस्तुत की जाए। SIDBI के साथ समन्वय स्थापित कर प्रकरण की नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही : उद्योग विभाग/ SIDBI/समस्त बैंक/एसएलबीसी)

3. जी.एस.टी. डिफॉल्टर एवं समन्वय :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- GST विभाग द्वारा प्राप्त डिफॉल्टरों की सूची सभी बैंकों को प्रेषित कर दी गई थी, जिस पर सीमित बैंकों से ही प्रतिकिया प्राप्त हुई। प्राप्त प्रतिकियाओं को एसएलबीसी द्वारा संकलित कर विभाग को प्रेषित कर दिया गया है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- GST संबंधित मामलों में प्रभावी समन्वय एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रावधानों (Act/Rules) के अनुरूप स्पष्ट प्रक्रिया विकसित की जाए। सभी बैंक एक नोडल अधिकारी नामित कर उसका विवरण विभाग को उपलब्ध कराएँ। साथ ही, बैंकिंग सलाहकार (वित्त) कार्यालय द्वारा GST विभाग से भी अनुरोध किया जाए कि वे राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नामित सूची उपलब्ध कराएँ, ताकि दोनों पक्षों के मध्य समुचित समन्वय तंत्र स्थापित किया जा सके।

(कार्यवाही : जीएसटी विभाग/समस्त बैंक/ बैंकिंग सलाहकार)

4. बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- दिनांक 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में कुल 4743 बीसी कार्यरत थे, जिनमें से 3830 बीसी का प्रमाणन (Certification) पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष का प्रमाणन आईआईबीएफ/बैंकों के माध्यम से लंबित है। तुलनात्मक रूप से बीसी की कुल संख्या में कमी परिलक्षित हुई है।
- यह भी उल्लेख किया गया कि आरबीआई की नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत जेंडर सेंसिटिव अप्रोच के अनुसार बैंकों को चरणबद्ध रूप से दिसंबर 2028 तक कम से कम 30% महिला बीसी नियुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्राम्य विकास से संबंधित उपसमिति में यह सुझाव प्राप्त हुआ था कि "बीसी सखी" (महिला बीसी) को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन एवं महिला सहभागिता दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होगी।

  एसआरएलएम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास लगभग 1000 प्रशिक्षित बीसी सखी का पूल उपलब्ध है, जो आईआईबीएफ प्रमाणन हेतु भी पात्र हैं। नाबार्ड की ओर से भी बीसी प्रमाणन हेतु आईआईबीएफ से संबंधित व्यय वहन करने की संभावनाओं पर सहयोग का आश्वासन दिया गया।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- सभी बैंक/आईपीबीबी आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुरूप महिला बीसी की नियुक्ति को प्राथमिकता दें तथा लंबित बीसी प्रमाणन शीघ्र पूर्ण कराएं। एसआरएलएम एवं नाबार्ड के साथ समन्वय स्थापित कर उपलब्ध बीसी सखी पूल का अधिकतम उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/ आईपीबीबी /एसआरएलएम विभाग/नाबार्ड)

5. Expanding and Deepening of Digital Payments EcoSystem (EDDPE): सामाजिक सुरक्षा योजना

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- अब तक की प्रगति की समीक्षा के आधार पर RBI द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में मार्च 2026 तक चिह्नित 80 प्रतिशत जिलों में तथा मार्च 2027 तक राज्य के सभी चिह्नित जिलों में 100 प्रतिशत डिजिटल भुगतान कवरेज सुनिश्चित किया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय-3

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- Expanding and Deepening of Digital Payments Ecosystem (EDDPE) के अंतर्गत शेष जिलों में शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण की प्रकिया का निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। यह भी अवगत कराया गया कि डिजिटल भुगतान विशेषकर करंट अकाउंट (Current Account) से जुड़े डिजिटल लेन–देन के प्रदर्शन में अपेक्षित प्रगति नहीं है, जिस पर बैंकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सुधार हेतु व्यापारियों का व्यापक ऑनबोर्डिंग किया जाए, क्यूआर कोड की सक्रियता सुनिश्चित की जाए, निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय किया जाए, डिजिटल साक्षरता एवं जागरूकता अभियान चलाए जाएँ तथा शाखा स्तर पर मासिक समीक्षा कर गैप विश्लेषण के आधार पर ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। जिला–वार प्रगति की नियमित निगरानी करते हुए डिजिटल भुगतान के उपयोग को मात्र उपलब्धता से आगे बढ़ाकर व्यवहारिक उपयोग (usage) पर केंद्रित करने पर बल दिया जाए।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- मार्च 2026 तक चिन्हित 80% जिलों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु एक ठोस, समयबद्ध एवं जिला–वार कार्ययोजना तैयार की जाए। कार्ययोजना में वर्तमान स्थिति का गैप विश्लेषण, बैंक–वार एवं ब्लॉक–वार उत्तरदायित्व निर्धारण, डिजिटल अवसंरचना की उपलब्धता, व्यापारी ऑनबोर्डिंग, खातों की सक्रियता, जन–जागरूकता कार्यक्रम तथा मासिक मॉनिटरिंग तंत्र को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। सभी संबंधित बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक नियमित अंतराल पर प्रगति की समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में एसएलबीसी को उपलब्ध कराएँ, ताकि राज्य स्तर पर समेकित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम समय रहते उठाए जा सकें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक / अग्रणी जिला प्रबंधक)

6. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के सितम्बर तिमाही में आरसेटी संस्थानों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 7475 के सापेक्ष 4106 एवं दिसम्बर माह तक 5739 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में कठिनाई आ रही है। विशेषकर पर्वतीय जनपदों में भवन निर्माण लंबित होने के कारण प्रशिक्षण गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में ऐसी समस्या अपेक्षाकृत कम है। लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, किंतु वर्तमान परिस्थितियों के कारण उन्हें पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी समीक्षा की जा चुकी है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया :

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, जैसे ओडीओपी (ODOP), कौशल विकास एवं स्वरोजगार योजनाओं के साथ समन्वित किया जाए, ताकि प्रशिक्षण उपरांत लाभार्थियों को आजीविका के ठोस एवं सतत अवसर उपलब्ध हो सकें।
- लंबित आरसेटी भवन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही : संबंधित आरसेटी / संबंधित अग्रणी जिला प्रबन्धक)

7. किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान : (KCC – Animal Husbandry & Fishries)

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- दिनांक 30.09.2025 तक पशुपालकों को 108514 (दिसम्बर माह तक 109358) तथा मत्स्य पालकों को 2947 (दिसम्बर माह तक 2979) किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किये गये हैं।
- डीएफएस द्वारा दिनांक 11.02.2026 को प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के अंतर्गत देशभर के 100 निम्न उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता एवं औसत से कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों का चयन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड राज्य से अल्मोड़ा एवं चमोली जनपद सम्मिलित हैं।
- इन जिलों हेतु निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिला कार्ययोजना (District Action Plan – DAP) तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। इस संबंध में आवश्यक सूचना संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों (LDMs) को प्रेषित कर दी गई है।

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, A.O.-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell-Advisor Banking-NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 20/03/2026 02:56 pm

पशुपालन विभाग प्रतिनिधि द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- राज्य में मत्स्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का मॉडल स्थापित किया गया है तथा सीबीडीसी (CBDC) मॉडल भी प्रारंभ किया गया है, जिसके प्रभावी एवं सतत उपयोग (subsequent use) पर बल दिया जाना आवश्यक है। यह भी अवगत कराया गया कि पोल्ट्री, मत्स्य एवं बायोगैस/गैस सब्सिडी जैसी योजनाओं में राज्य अग्रणी भूमिका (pioneer) निभा सकता है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया :

- बैंकिंग सलाहकार द्वारा पशुपालन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सीबीडीसी (CBDC) मॉडल का विस्तृत अध्ययन किया जाए तथा अद्यतन जानकारी संकलित कर सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभाग उक्त मॉडल का प्रभावी रूप से लाभ उठा सकें ।
- समस्त बैंक मत्स्य, पोल्ट्री एवं अन्य संबद्ध गतिविधियों में वित्तपोषण बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान दें, ताकि राज्य इन क्षेत्रों में अग्रणी उदाहरण प्रस्तुत कर सके।
- प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रगति की नियमित समीक्षा उपसमिति स्तर पर की जाए।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/पशुपालन विभाग/मत्स्य पालन विभाग/अग्रणी जिला प्रबंधक/ बैंकिंग सलाहकार)

8. स्वामित्व योजना :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य में अब तक 7,441 ग्रामों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया है तथा 1.97 लाख स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। तथापि, इस योजना के अंतर्गत स्वामित्व कार्ड के आधार पर बैंकों को अब तक कोई भी ऋण आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लद्दाख, हरियाणा, गुजरात एवं मध्यप्रदेश आदि राज्यों में इस विषय पर चर्चा की गई है तथा ज्ञात हुआ है कि उन राज्यों में राजस्व अभिलेखों के आधार पर पंजीकृत बंधक (Registered Mortgage) के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- इस विषय में एसएलबीसी द्वारा दिनांक 08.01.2026 को सचिव (राजस्व) को पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। साथ ही माननीय सचिव (राजस्व) से भेंट कर भी आवश्यक मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस विषय पर राजस्व परिषद स्तर पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया :

- राजस्व विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त होने पर बैंकों को स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किए जाएं तथा स्वामित्व कार्ड के आधार पर ऋण वितरण की प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग/एसएलबीसी)

9. लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.):

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- पिछले वित्तीय वर्ष में 4,983 आरसी प्रकरणों में लगभग ₹60 करोड़ की वसूली की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक ₹ 23.43 करोड़ की वसूली हुई है, जो कुल आरसी का लगभग 60.24% है। कुछ जनपदों (जैसे अल्मोड़ा, देहरादून आदि) में वसूली प्रतिशत एकल अंक में है, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- एनपीए में कमी लाने हेतु आरसी वसूली एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मुख्य सचिव, महोदय द्वारा पूर्व में सभी जिलाधिकारियों के साथ विशेष बैठक आयोजित कर वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं।

एनआरएलएम विभाग प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत् सुझाव दिया गया :

- Community Based Recovery Mechanism (CBRM) को अपनाकर तथा बैंक सखियों की सहायता से वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है। सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि इस तंत्र का प्रभावी उपयोग करें।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देशित किया गया :

- जिन जनपदों में आरसी वसूली प्रतिशत निम्न है, वहाँ अग्रणी जिला प्रबंधक जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष अभियान चलाएं।
- सीबीआरएम तंत्र का व्यापक उपयोग किया जाए ताकि एनपीए में प्रभावी कमी लाई जा सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबंधक)

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India SBI SLBC, A.O.-I

10. ई–एनडब्ल्यूआर (e-NWR) :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- ई–एनडब्ल्यूआर/इलेक्ट्रॉनिक आधारित वित्तपोषण के अंतर्गत राज्य को ₹1 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु बैंकों के माध्यम से इस श्रेणी में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ₹75 करोड़ का वित्तपोषण किया गया है, तथापि यह मुख्यतः पारंपरिक/भौतिक प्रणाली के माध्यम से हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक/नेगोशिएबल प्रणाली में प्रगति सीमित है। इस संबंध में बैठक में क्षमता निर्माण (Capacity Building) हेतु मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

महाप्रबन्धक, एस.बी.आई, नई दिल्ली द्वारा सदन को निम्नवत सुझाव दिया गया :

- इस अभियान में कोलेटरल मैनेजर्स एवं वेयरहाउस ऑपरेटर्स को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि अधिकांश बैंक वेयरहाउस रसीद आधारित वित्तपोषण में इन्हीं के माध्यम से कार्य करते हैं। साथ ही, राज्य स्तर पर एक लघु प्रोत्साहन/फाउंडेशन फंड स्थापित कर बैंकों को सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- ई–एनडब्ल्यूआर आधारित वित्तपोषण को बढ़ावा देने हेतु सभी बैंकों, विशेषकर आरआरबी एवं वाणिज्यिक बैंकों, द्वारा ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। कोलेटरल मैनेजर्स एवं वेयरहाउस संचालकों को इस प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल करने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाए। क्षमता निर्माण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए तथा यदि राज्य स्तर पर किसी प्रोत्साहन तंत्र की आवश्यकता हो तो उसका प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/संबंधित विभाग)

11. सरकार प्रायोजित ऋण योजनायें :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के सितम्बर तिमाही में पी.एम. स्वनिधि योजना अंतर्गत 107%, (दिसम्बर माह तक 117%), ए. आई.एफ. में 55% (दिसम्बर माह तक 64%), पी.एम. अजय योजना अंतर्गत 47% (दिसम्बर माह तक 80%), मुद्रा में 42% (दिसम्बर माह तक 73%), VCSGSY, वाहन में 40% (दिसम्बर माह तक 67%), VCSGSY, गैर–वाहन में 34% (दिसम्बर माह तक 55%), होम–स्टे योजना में 25% (दिसम्बर माह तक 46%), एमएसवाई योजना में 22% (दिसम्बर माह तक 72 %), पी.एम.एफ.एम.ई. में 18%, एन.आर.एल.एम. में 13% (दिसम्बर माह तक 95%), एस.सी.पी. (अल्पसंख्यक) में 7% (दिसम्बर माह तक 7.5%), टीएसपी–एसटी में 2% (दिसम्बर माह तक 64%) की प्रगति दर्ज की गयी है।

- दिनांक 30.09.2025 तक पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 19.56 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा ₹. 13.99 करोड़ की राशि क्लेम की गयी है जो दिसम्बर तिमाही में बढ़कर ₹ 20.16 करोड़ हो गई, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 103% है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विभिन्न योजनाओं, विशेषकर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली वाहन ऋण एवं होमस्टे योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच रही है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली वाहन ऋण सामान्यतः oversubscribed वाली श्रेणी रही है, तथापि वर्तमान में लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जो चिंताजनक है। अतः सभी संबंधित बैंक एवं विभाग आवेदन प्राप्ति एवं स्वीकृति की स्थिति का त्रैमासिक आधार पर समन्वित मिलान (reconciliation) सुनिश्चित करें तथा लक्ष्य–उन्मुख कार्ययोजना बनाकर प्रगति में सुधार लाएं।
- होमस्टे योजना में यदि दिशा–निर्देशों/नियमों में संशोधन अपेक्षित है, तो संशोधित गाइडलाइन को शीघ्र अंतिम रूप देकर जारी किया जाए, ताकि आवेदन प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाएँ दूर हों। सभी लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/पर्यटन विभाग)

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell-Advisor Banking-NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 20/03/2026 02:56 pm

12. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) :

इंश्योरेंश कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- केसीसी से संबद्ध किसानों के नामांकन में वृद्धि दर्ज की गई है। गत वर्ष रबी 2024–25 में लगभग 2,501 किसानों का नामांकन किया गया था, जबकि चालू वर्ष रबी सीजन में लगभग 5,000 किसानों का नामांकन किया गया है, जो कि सकारात्मक प्रगति का संकेत है।
- प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि बैंकों के साथ समन्वय हेतु एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से बैंक अधिकारियों को चरणबद्ध प्रक्रिया (Step–by–Step Process) समझाई गई, विशेषकर खातों की लिंकिंग एवं पॉलिसी निर्माण से संबंधित बिंदुओं पर। कुछ मामलों में खातों की सही प्रकार से लिंकिंग न होने की समस्या सामने आई है, जिसके समाधान हेतु आवश्यक विवरण एसएलबीसी के माध्यम से साझा किया गया है।
- क्लेम भुगतान की प्रगति संतोषजनक है, तथापि बागवानी (हॉर्टिकल्चर) विभाग से संबंधित लगभग 14 करोड़ की सब्सिडी लंबित है, जिसके प्राप्त होते ही शेष दावों का निस्तारण किया जा सकेगा।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- राज्य सरकार द्वारा लंबित सब्सिडी को शीघ्र जारी कराने हेतु कृषि विभाग, वित्त विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि किसानों के दावों का भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित हो सके।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/ बीमा कंपनियाँ)

13. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का वित्तीय समावेशन :

सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने के विषय को प्रथम बार एसएलबीसी के एजेंडा में सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में सभी बैंकों को पूर्व में निर्देश प्रेषित किए जा चुके हैं तथा बैंकों से ऋण वितरण की स्थिति संबंधी जानकारी भी प्राप्त की गई है। यह बताया गया कि बैंकों के CBS सिस्टम एवं खाता खोलने के प्रपत्रों में जेंडर पहचान हेतु प्रावधान उपलब्ध है, तथापि अब तक किसी भी बैंक द्वारा ट्रांसजेंडर श्रेणी में ऋण वितरण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
- वर्तमान में बैंकों के पास ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पृथक विशेष योजना सीमित/प्रारंभिक अवस्था में है। यदि इस वर्ग के लिए विशेष उत्पाद/योजना प्रारंभ की जाती है तो खाता खोलने एवं ऋण वितरण में वृद्धि संभव है।

अपर सचिव, समाज कल्याण द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- जनपद स्तर पर लगभग 400 ट्रांसजेंडर पहचान–पत्र (ID Cards) जारी किए गए हैं। ट्रांसजेंडर बोर्ड/समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है। सुझाव दिया गया कि जिन व्यक्तियों के पास वैध पहचान–पत्र उपलब्ध हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि उनका डेटा व्यवस्थित रूप से रखा जा सके।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वित्तीय समावेशन हेतु समाज कल्याण विभाग एवं ट्रांसजेंडर बोर्ड द्वारा समन्वय स्थापित किया जाए। जिन व्यक्तियों के पास पहचान–पत्र उपलब्ध हैं, उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने हेतु उपयुक्त उत्पाद/योजना प्रारंभ करने की संभावनाओं का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को किया जाए।
- यदि राज्य स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय हेतु विशेष वित्तीय समावेशन योजना तैयार कर प्रभावी रूप से लागू की जाती है, तो उत्तराखंड इस दिशा मे अग्रणी राज्य के रूप में स्थपित हो सकता है।

(कार्यवाही : समाज कल्याण विभाग/ ट्रांसजेंडर बोर्ड)

14. साइबर सुरक्षा एवं संदिग्ध लेन–देन संबंधी मुद्दे :

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तराखण्ड प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :

- कुछ बैंकों के कॉर्पोरेट/सीएमपी (Cash Management Product) खातों के माध्यम से संदिग्ध लेन–देन की घटनाएँ सामने आ रही हैं। विशेष रूप से कुछ स्थानों पर एटीएम निकासी एवं चेक निकासी से संबंधित संदिग्ध गतिविधियों की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में अन्य राज्यों (जैसे पश्चिम बंगाल) के नोडल अधिकारियों द्वारा भी संभावित

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell-Advisor Banking-NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 20/03/2026 02:56 pm

साइबर धोखाधड़ी के मामलों की सूचना साझा की गई है। यह भी उल्लेख किया गया कि ऐसे मामलों में समय पर सूचना प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक अवधि के भीतर कार्रवाई करने से धोखाधड़ी की राशि को रोका जा सकता है।

महाप्रबन्धक, एस.बी.आई, नई दिल्ली द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- एसबीआई का जयपुर स्थित एक केंद्रीय प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सेल कार्यरत है, जो एआई (AI) आधारित टूल्स का उपयोग कर संभावित संदिग्ध लेन–देन की पहचान करता है तथा रियल–टाइम में खाताधारकों से संपर्क कर सत्यापन करता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर सभी शाखाओं के लिए संचालित है। साथ ही बताया गया कि डीएफएस एवं आरबीआई द्वारा अन्य बैंकों को भी इसी प्रकार की केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- साइबर धोखाधड़ी एवं संदिग्ध लेन–देन के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी बैंक समयबद्ध प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें। संदिग्ध खातों/लेन–देन की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
- फ्रॉड मॉनिटरिंग समिति की बैठक में इस विषय को विशेष रूप से रखा जाए तथा संबंधित बैंकों को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु आमंत्रित किया जाए।
- सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट तंत्र को सुदृढ़ करें तथा प्रारंभिक अवधि के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय प्रशासन एवं साइबर प्रकोष्ठ के साथ समन्वय स्थापित करें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/एसटीएफ विभाग)

15. अनुसूचित जाति वित्तीय समावेशन संबंधी सुझाव:

निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लखनऊ द्वारा सदन को निम्नवत् अवगत कराया गया :

- उत्तराखंड राज्य की लगभग 18.8 लाख जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सुझाव है कि बैंकों की विभिन्न योजनाओं एवं एजेंडा बिंदुओं में अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित लाभार्थियों का पृथक आंकलन किया जाए, जिससे प्रगति की समुचित समीक्षा की जा सके। इससे आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी योजनाओं की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में सुविधा होगी।

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए :

- बैंकों द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित लाभार्थियों के आंकड़े पृथक रूप से संकलित करने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाए तथा आवश्यकतानुसार एसएलबीसी स्तर पर एक प्रारूप विकसित कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए, जिससे लक्षित वर्गों की प्रगति की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/एसएलबीसी)

सहायक महाप्रबन्धक (भारतीय स्टेट बैंक)
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by NARENDRA KUMAR, Institutional Finance Cell-Advisor Banking-NK, ADVISOR BANKING, Finance Department on 20/03/2026 02:56 pm